

उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजनों के आर्थिक उन्नयन किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम तथा उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु दिव्यांगजनों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। इस हेतु निम्नलिखित औपचारिकतायें पूर्ण करने वाले दिव्यांगजन ऋण प्राप्त करने हेतु अर्ह होंगे:-

01. आवेदक उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी हो।
02. आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
03. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
04. आवेदक के पास यू0डी0आई0डी0 नम्बर होना आवश्यक है।
05. आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था/बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
06. आवेदक के नाम पर आवेदित ऋण के सापेक्ष पर्याप्त अचल सम्पत्ति होनी आवश्यक है।

राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम एवं उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से दिव्यांगजनों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु जैसे (ई.रिक्शा, ई-बाइक, मौबाइल शॉप/रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, कृत्रिम अंग बनाना, सी.एस.सी. कम्प्यूटर कार्य, बिजली कार्य के स्वरोजगार ऋण हेतु प्राथमिकता दी जायेगी) एवं ऐसे स्वरोजगार कार्य जिसे दिव्यांगजन सुलभतापूर्वक करने में सक्षम हो, हेतु भी ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। परन्तु दिव्यांगजनों को रोजगार स्थापित करने हेतु अधिकतम ऋण की सीमा रू0 25.00 लाख से अधिक नहीं होगी। जिसमें ब्याज की दर 7 प्रतिशत वार्षिक देय होगी तथा दिव्यांग महिला आवेदकों को ब्याज की दर में 0.50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

- आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि:- उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय परिसर शहीद भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून कार्यालय में दिनांक 29.12.2025 सांय 4.00 बजे तक स्वयं/डाक के माध्यम से अथवा निगम मुख्यालय की मेल आई.डी के माध्यम से **vikasnigam12@gmail.com** आवेदन कर सकते हैं।
- निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर ऋण हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
- ऋण प्रस्तावों को स्वीकृति/निरस्त के संबंध में प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम का निर्णय अन्तिम होगा।

संलग्नक- यथोपरि।

ह0 /-
प्रबन्ध निदेशक



उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम देहरादून
प्रधान कार्यालय:- ए.टी.एस. परिसर भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला-देहरादून

पत्राक 1117 / बहु0नि0 / दि0ऋण / 2025-26

दिनांक 04 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. निजी सचिव, सचिव समाज कल्याण, उत्तराखण्ड के सादर सूचनार्थ।
02. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल के सादर सूचनार्थ।
03. आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड के सादर सूचनार्थ।
04. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड के सादर सूचनार्थ।
05. नोडल अधिकारी आई0टी0 सेल, समाज कल्याण को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को समाज कल्याण विभाग की समस्त बैबसाइड में अपलोड कराने का कष्ट करें।
06. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजना का जनपदों में प्रचार-प्रसार करते हुए निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र निगम मुख्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(गोरधन सिंह)
उपमहाप्रबन्धक



उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि०,

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: ए.टी.एस. परिसर भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला-देहरादून

सम्पर्क नम्बर- 9690509999

:: विज्ञप्ति ::

पत्रांक 1118 / बहु0नि0 / दि0ऋण / 2025-26

दिनांक 09 दिसम्बर, 2025

उत्तराखण्ड के दिव्यांगजनों हेतु ऋण आवेदन आमंत्रण सूचना।

उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजनों के आर्थिक उन्नयन के उद्देश्य से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है। जिस हेतु दिव्यांगजनों के ऋण आवेदन पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं। ऋण हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 29-12-2025 निर्धारित है। ऋण से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाईड www.ukbvvn.org.in पर देखी जा सकती है।

(गोरधन सिंह)

उपमहाप्रबन्धक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : 1. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला, देहरादून को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड के कुमाउं/गढ़वाल संस्करण में शासकीय दरों (डी0ए0वी0पी0) पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

2. श्री प्रकाश चन्द्र थपलियाल (लेखाकार) निगम मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रतिदिन संकलित कर दिनांक 31.12.2025 को अनिवार्य रूप से पत्रावली पर उच्चस्तर पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

h.w.

उपमहाप्रबन्धक

उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एव विकास निगम लि०।

एवम

राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एव विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तपोषण हेतु आवेदन पत्र।

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. स्थाई पता /ग्राम /मो०.....पो०.....
तहसील.....विकासखण्डजनपद.....
मो० न०.....
4. दिव्यांग प्रमाण पत्र संख्या दिनांकप्रतिशत
(सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र संलग्न करें)
5. वोटर कार्ड Epic No.
6. यू०डी०आई०डी० न०
7. उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई/मूल निवास का प्रमाणपत्र.....(सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. ऋण का प्रयोजन/कार्य का नाम.....लागत
(परियोजना का रिपोर्ट संलग्न की जाय)
9. अचल सम्पत्ति का विवरण :- भवन/भूमि के स्वामित्व का पूर्ण विवरण
10. दो जमानती का नाम व पता हस्ताक्षर सहित (सम्पत्ति का विवरण संलग्न करें यदि किसी विभाग संस्था में सेवारत हो तो विभाग का नाम पद व पता तथा सम्पर्क मो०न० स्पष्ट लिखें)
अ..... ब.....
.....
.....
.....
11. क्या पूर्व में किसी योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता (ऋण अनुदान)प्राप्त किया था
हाँ /नहीं . यदि हाँ तो विवरण दे:-
विवरणविभाग का नामप्राप्त सहायता
12. वसूली की स्थिति -पूर्व में प्राप्त ऋण के अंश की वसूली की अद्यावधिक स्थिति अथवा इसी उद्देश्य हेतु विकास खण्ड /जनपद /राज्य के किसी वित्तीय संस्थान /विभाग /अन्य श्रोत से ऋण /अनुदान प्राप्त नहीं किया है न ही बकायेदार हूँ।(रु 10/के स्टाप पेपर पर नोटरी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाय)

मैं स्व प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य पूर्णतः सही एवं वास्तविकता पर आधारित है तथा जो प्रमाणपत्र संलग्न किये जा रहे हैं वह सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रदत्त सत्य एवं सही है, यदि कोई तथ्य सत्यता से परे पाया जाता है या छुपाया जाता है उसके लिये मैं किसी भी विधिक कार्यवाही के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूँगा।

स्थान:-

दिनांक:-

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर